DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Government Girl's Polytechnic Campus, Byron Bazaar, Raipur - 492001
शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर - 492001

Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

क्रं. / 2011–12 / / शैक्ष. / छात्रवृत्ति/ / रायपुर, दिनांक

प्रति,

(1) प्राचार्य,
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर।

(2) प्राचार्य,
शासकीय पोलीटेकनिक,
दुर्ग / अंबिकापुर / कोरबा / रायगढ़ / खैरागढ़, / तखतपुर / धमतरी,कबीरधाम,जॉजगीर–चॉपा,
महासमुन्द / गरियाबंद / कांकेर / नारायणपुर / बीजापुर / कोरिया / जशपुर,

(3) शासकीय कन्या पोलीटेकनिक,
रायपुर / राजनॉदगॉव / बिलासपुर / जगदलपुर, (छ.ग.)

विषय :– वर्ष 2011–12 में योग्यता छात्रवृत्ति (Merit Scholarship), स्वीकृति के लिये प्रस्ताव भेजने संबंधी । तथा योग्यता सह साधन (Merit Cum Means) छात्रवृत्ति के संबंध में निर्देश।

00–00

राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पोलीटेकनिक संस्थाओं के प्रथम वर्ष में नवीन प्रवेशित निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं से मेरिट स्कालरशिप हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। स्कॉलरशिप हेतु पात्रता के लिए बी.ई. के लिये 12 वीं तथा डिप्लोमा के लिये 10 वीं में 60 प्रतिशत प्राप्तांक होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है। आवेदन का प्रारूप Website www.cgdteraipur.ac.in में भी उपलब्ध है ।

2. योग्यता छात्रवृत्तियों के लिये प्राप्त आवेदन पत्र छात्र–छात्राओं द्वारा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर योग्यताक्रमानुसार रखे जावें तथा उन समस्त आवेदन पत्रों का विवरण निम्नानुसार प्रारूप में तैयार कर आवेदन पत्र अंकसूची सहित एकजाई प्रस्ताव इस संचालनालय को दिनांक 31.12.2011 तक अनिवार्यतः भेजा जावें ।

आवेदन पत्रों की एकजाई प्रस्ताव

क्रं.	छात्र / छात्रा का नाम	ब्रांच	कक्षा	लिंग	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3. प्राप्त आवेदन पत्रों की आवश्यक जॉच संस्था में ही कर ली जावे तथा आवेदकों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत की मेरिट सूची बनाकर प्रस्ताव भेजा जावे। यदि प्रस्ताव निर्धारित समय–सीमा में नहीं आते हैं तो योग्यता छात्रवृत्ति की स्वीकृति जारी कर दी जावेगी जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था प्रमुख की होगी ।

4 द्वितीय वर्ष बी.ई. में लेटरल एंट्री के तहत प्रवेशित छात्रों को भी मेरिट स्कॉलरशिप देय है। इसके लिए डिप्लोमा की अंतिम वर्ष की परीक्षा 60 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण छात्रों के आवेदन पत्रों की योग्यता सूची उपरोक्तानुसार तैयार कर अंकसूची सहित इस संचालनालय को दिनांक 20.12.2011 तक आवश्यक रूप से भेजें।

5. जिन छात्र–छात्राओं को सत्र 2010–11 में संचालनालय द्वारा योग्यता छात्रवृत्ति स्वीकृत किया जा चुका है,उनको सत्र 2011–12 के लिये नवीनीकरण हेतु स्वीकृतियॉ प्राचार्य द्वारा ही जारी की जावे । प्रस्ताव संचालनालय को न भेजी जावे ।

6. यदि आपकी संस्था में द्वितीय,तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ष में कोई योग्यता छात्रवृत्ति रिक्त हुए हैं तो इसकी जानकारी भेजें ताकि संचालनालय द्वारा रिक्त सीट के विरूद्व पृथक से आवेदन मंगाये जा सके ।

7. समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा पोलीटेकनिक संस्थाओं में योग्यता सह साधन शिष्यवृत्ति की नवीन स्वीकृति एवं नवीनीकरण की स्वीकृति पूर्व वर्षो के अनुसार निर्धारित नियमानुसार प्रदान करने हेतु संबंधित संस्था के प्राचार्य सक्षम हैं । इसके लिये संचालनालय को प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता नहीं है । विभिन्न संस्थाओं में निम्नानुसार योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति स्वीकृत है।

संस्था का नाम	छात्रवृत्ति की संख्या	संस्था का नाम	छात्रवृत्ति की संख्या	संस्था का नाम	छात्रवृत्ति की संख्या
शास. इंजी., रायपुर	30 प्रथम वर्ष, 3 लेट्रल	शा.क.पॉली., राजनांदगांव	01	शा. पॉली, कोरबा	11
शास. इंजी., बिलासपुर	11 प्रथम वर्ष, 1 लेट्रल	शा.पॉली, अम्बिकापुर	10	शा. पॉली., रायगढ़	14
शास. इंजी., जगदलपुर	06 प्रथम वर्ष, 1 लेट्रल	शा.पॉली, धमतरी	11	शा. पॉली., तखतपुर	3
शा.क.पॉली., रायपुर	04	शा.पॉली, दुर्ग	22		
शा.क.पॉली., जगदलपुर	03	शा. पॉली, खैरागढ़	02		

योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति की पात्र हेतु अर्हकारी परीक्षा इंजीनियरिंग महाविद्यालय के लिए 12 वीं एवं पॉलीटेक्निक के लिए 10 वीं 45% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छात्र के पालक/अभिभावक की समस्त श्रोतो से आय रू. 24000/– प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
अन्य शासकीय संस्थाओं में जो 2007–08 के पश्चात प्रारंभ हुये है के लिये योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति स्वीकृत हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है ।

8. जिन योग्यता छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र–छात्राओं का अन्य इंजीनियमहाविद्यालय/पोलीटेकनिक में स्थानान्तरण होता है तो उनकी छात्रवृत्ति का स्थानान्तरण भी स्थानांतरित संस्था में किया जावे । ऐसे छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति स्थानांतरित कर संबंधित संस्थाओं के प्राचार्यो को अवगत कराएं जिससे छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति–शिष्यवृत्ति मिलने में कठिनाई न हो । इस संबंध में की गई कार्यवाही से संचालनालय को भी अवगत कराएं ।

संलग्न : **आवेदन पत्र का प्रारूप**

संचालक
तकनीकी शिक्षा, छ0ग0